



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक- 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)





दिनांक 19/01/2023

तुलसी भवन में सामूहिक कक्ष की व्यवस्था के संबंध में सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 003/2003/का.आ./02-02/2023 दिनांक 06/01/2023 के अनुसरण में साहित्य विद्यापीठ तथा अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित समस्त विभागों के शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु प्रत्येक रविवार को अपराह्न 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक तुलसी भवन के भूतल पर स्थित कक्ष संख्या 125 सामूहिक कक्ष के रूप में खुला रहेगा।

समस्त शोधार्थियों/विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक कक्ष में अध्ययन करें तथा किसी भी तरह की अव्यवस्था एवं अमर्यादित व्यवहार की शिकायत का अवसर न दें।


अधिष्ठाता 19/01/2023
साहित्य विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा


अधिष्ठाता 19/01/2023
अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रति :

संबंधित विभागाध्यक्षगण तथा विद्यार्थी एवं शोधार्थियों को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
5. कुलानुशासक
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी
8. कुलसचिव कार्यालय (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
9. सूचना पट्ट
10. रक्षित पत्रावली

जावक 546
अनुवाद नि.वि.पि.
दिनांक-19/01/23